न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–डॉ0 सौम्या झा
आई0ए0एस0

प्रा0पत्र सं0 1/2020 धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम
राजस्थान सरकार जरिये विमला मीना, प्रवर्तन निरीक्षक, दौसा शहर

..प्रार्थी

बनाम

श्री अलीमुद्दीन पुत्र श्री मोहम्मद आलम निवासी हरिजन बस्ती स्कूल के सामने, बाबाजी की छावनी, रामकुण्ड, दौसा

..अप्रार्थी

उपस्थितः 1. श्रीमती सूरज बाई मीना, प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय पैरोकार सरकार

जब्तशुदा 21 गैस सिलेण्डरों मय 289.9 किलोग्राम एल0पी0जी0 गैस दो विधुत मोटर मय पाईप, रेगूलेटर तथा एक इलैक्ट्रोनिक कांटे का आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारित कर राजसात करने बाबत।

निर्णय दिनांकः 03.6.2026

1. संक्षिप्त विवरण प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 इस प्रकार है कि प्रर्वतन दल द्वारा दिनांक 20.1.2020 को श्री अलीमुद्दीन पुत्र श्री मोहम्मद आलम निवासी हरिजन बस्ती स्कूल के सामने, बाबाजी की छावनी, रामकुण्ड, दौसा द्वारा घरेलू एल0पी0जी0 गैस रिफलिंग करते हुए पाये जाने पर मौके पर पाये गये कुल 21 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 289.9 किलोग्राम एल0पी0जी0 व दो विधुत मोटर मय पाईप, रेगूलेटर तथा एक इलैक्ट्रोनिक कांटे को जब्त सरकार कर राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कियागया।
3. विभागीय पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र 6 ए में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 20.1.2020 को पुलिस वृत्ताधिकारी, दौसा के द्वारा दूरभाष पर दी गई सूचना के आधार पर जिलाा रसद अधिकारी दौसा मय प्रवर्तन दल के साथ मौके पर पहुँचे। मौके पर हरिजन बस्ती स्कूल के सामने बाबाजी की छावनी रामकुण्ड स्थित श्री अलीमुद्दीन पुत्र श्री मोहम्मद आलम के मकान के बगल में स्थित बाडे में रिफलिंग हेतु रखे हुए 21 गैस सिलेण्डर, 2 विधुत मोटर व एक इलैक्ट्रोनिक कांटा रखा हुआ पाया गया। मौके पर पुलिस वृत्ताधिकारी दौसा के नेतृत्व में डीएसटी टीम उपस्थित मिली। मौके पर सिलेण्डर रेगूलेटर व पाईप के माध्यम से विधुत मोटर से जुडा हुआ पाया गया। इससे स्पष्ट है कि वह घरेलू एलपीजी गैस की अवैध रूप से रिफलिंग करके व्यावसायिक दुरूपयोग में लिप्त है। साथ ही आबादी क्षेत्र में अवैध गैर रिफलिंग करने से जान माल की आशंका है। मौके पर ही मैसर्स महेश एन्टरप्राईजेज दौसा (एच.पी. गैस ऐजेन्सी) के कार्मिक ऑपरेटर श्री रामकिशोर बलाई को मय वाहन व साल्टर होगिंग मशीन के बुलवाकर गैस सिलेण्डरों की तौल करवाई गई जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

कसं	सिलेण्डरका एसआर कमांक/मार्का	सील/अनसील्ड सरकारी तेल कंपनी का नाम	सिलेण्डरपर एलपीजी का उपदर्शित मानक भार/क्षमता किलोग्राम में	खाली सिलेण्डर का उपदर्शित भार/टेयरवेट कि.ग्रा.में	भौतिक सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एलपीजी कि.ग्रा. में	शुद्ध गैस का भार कि.ग्रा. में
1	746405 बी	एचपी	14.2	15.8	20.8	5
2	330029 टी	बीपीसी	14.2	15.9	30.1	14.2
3	346329 टी	एचपी	14.2	15.8	18.1	2.3

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

4	727863 एस	बीपीसी	14.2	15.8	16.0	0.2
5	134027 एस	बीपीसी	14.2	15.6	29.9	14.3
6	131996 टी	बीपीसी	14.2	15.7	30.0	14.3
7	416428 बी	बीपीसी	14.2	15.7	30.0	14.3
8	966869 ई	एचपी	14.2	15.5	29.7	14.2
9	629624 जे	बीपीसी	14.2	15.9	30.2	14.3
10	189362 एस	बीपीसी	14.2	15.	29.9	14.2
11	446636 एस	बीपीसी	14.2	16.4	30.7	14.3
12	402989 एस	एचपी	14.2	15.8	30.1	14.3
13	042915 एस	बीपीसी	14.2	19.2	38	18.8
14	839638	बीपीसी	19	19.3	38.3	18.9
15	043794	बीपीसी	19	19.3	31.1	11.8
16	002568 टी	बीपीसी	19	18.9	37.1	19.1
17	022876 एस	बीपीसी	19	19.5	38.1	18.6
18	111681	बीपीसी	19	19.6	38.5	18.9
19	6247	बीपीसी	19	19.5	29.7	10.2
20	033288 एस	बीपीसी	19	19.2	37.9	18.7
21	023146 एस	बीपीसी	19	19	38.2	19
		योग				289.9 किग्रा.

4. इस प्रकार मौके पर 12 गैस सिलेण्डर 14.2 किलोग्राम क्षमता के तथा 9 गैस सिलेण्डर 19 किलोग्राम वाले (कॉमर्शियल श्रेणी) पाये गये जिनमें तौल करने पर शुद्ध गैस का वजन 289.9 किलोग्राम होना पाया गया। मौके पर उक्त सभी 21 गैस सिलेण्डरों मय 289.9 किलोग्राम एलपीजी दो विधुत मोटरों व एक इलैक्ट्रोनिक कांटे को जब्त कर कब्जे राज लिया गया। जब्त की गई उक्त सामग्री को सुरक्षा की दृष्टि से मैसर्स महेश एन्टरप्राईजेज दौसा (एच.पी. गैस ऐजेन्सी) के कार्मिक ऑपरेटर श्री रामकिशोर बलाई को सुपुर्दगी में दिया गया। मौके पर ही फर्द मौका, फर्द अधिग्रहण व फर्द सुपुर्दगीनामा तैयार किया गया। इस प्रकार उक्त कृत्य करके श्री अलीमुद्दीन ने द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खंड 2, 3, 4 व 6 का स्पष्ट उल्लंघन किया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। आरोपी अलीमुद्दीन आदतन अपराधी है। इससे पहले भी इसी परिवर में गैस सिलेण्डर जब्ती का प्रकरण श्रीमानजी के न्यायालय में लंबित है। प्रकरण में पुलिस थाना कोतवाली दौसा में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी गई है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार फरमाया जाकर जब्तशुदा 21 गैस सिलेण्डर मय एल0पी0जी0 गैस 289.9 किलोग्राम दो विधुत मोटर मय पाईप, रेगूलेटर तथा एक इलैक्ट्रोनिक कांटे को राजसात करने के आदेश फरमावें।
5. अप्रार्थी व उनके अधिवक्ता को बार–2 आवाज दिलवाने पर भी वे उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।
6. हमने विभागीय पैरोकार की एकतरफा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि दिनांक 20.1.2020 को जिला रसद अधिकारी एवं प्रवर्तन दल ने घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण/क्रय/विक्रय/रिफलिंग की जांच हेतु दौसा शहर में फर्म मैसर्स अलीमुद्दीन बाबाजी की छावनी के आगे, हरिजन बस्ती स्कूल के पास, दौसा शहर की जांच की गई। हरिजन बस्ती स्कूल के सामने बाबाजी की छावनी रामकुण्ड स्थित श्री अलीमुद्दीन पुत्र श्री मोहम्मद आलम के मकान के बगल में स्थित बाडे में रिफलिंग हेतु रखे हुए 21 गैस सिलेण्डर, 2 विधुत मोटर व एक इलैक्ट्रोनिक कांटा रखा हुआ पाया गया। मौके पर सिलेण्डर रेगूलेटर व पाईप के माध्यम से विधुत मोटर से जुडा हुआ पाया गया। इससे घरेलू एलपीजी गैस की अवैध रूप से रिफलिंग करके व्यावसायिक दुरूपयोग सिद्ध होता है। व्यवसायी द्वारा बडे सिलेण्डर्स छोटे सिलेण्डर्स/एलपीजी वाहन में गैस अन्तरण कर अवैध कारोबार करना प्रमाणित होता है। एलपीजी गैस सिलेण्डरों से वाहन में अन्तरण का यह कार्य सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है क्योंकि एलपीजी गैस

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अत्यन्त ज्वलनशील व विस्फोटक पदार्थ है। इस प्रकार श्री अलीमुद्दीन द्वारा एल0पी0जी0 आदेश 2000 के उपबन्धों का उल्लंघन किया गया है। अप्रार्थी अलीमुद्दीन ने मौके पर कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त मौके पर गैस रिफलिंग/अन्तरण हेतु प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण मय पाईप व रेगूलेटर एवं दो विधुत मोटर भी पाई गई है। दौसा शहर में घनी आबादी क्षेत्र पर दुकान का निरीक्षण करने पर एल.पी.जी. गैस घरेलू सिलेण्डर से अवैध व्यावसायिक उपयोग किया जाना स्पष्ट प्रमाणित होता है, जोअवैधानिक कृत्य की श्रेणी में आता है। इस प्रकार का उक्त कृत्य **L.P.G. (Regulation of supply and distribution) order,** 2000 के क्लॉज **3(C)**का स्पष्ट उल्लंघन है, हाल ही में भांकरोटा की गैस त्रासदी जैसी दुखद घटना भी हुई है। इस प्रकार का उक्त कृत्य **L.P.G. (Regulation of supply and distribution) order,** 2000 के खंड 3, 4, 5, 6, 7 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थी के विरूद्ध एक अन्य प्रकरण सं0 02/2019 उनवानी सरकार बनाम अलीमुद्दीन प्रार्थना पत्र 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का भी इस न्यायालय मे विचाराधीन था जिसमें जब्त सिलेण्डर आदि को राजसात किये जाने के आदेश पारित किये गये है। अप्रार्थी का यह कृत्य **Repeat Offender** की श्रेणी में आता है। हम प्रार्थना पत्र 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाने योग्य समझते है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त वर्णित जब्त शुदा 21 गैस सिलेण्डरों मय 289.9 किलोग्राम एलपीजी दो विधुत मोटरों व एक इलैक्ट्रोनिक कांटे को मय गैस रिफलिंग/अन्तरण हेतु प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण मय पाईप व रेगूलेटर को राजसात **(Confiscate)**किया जाता है। जिला रसद अधिकारी दौसा को निर्णय की प्रति प्रेषित कर निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि जब्त माल का नियमानुसार निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(डॉ0सौम्या झा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 03 जून, 2026 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवंन्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(डॉ0सौम्या झा)
जिला कलेक्टर दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official